<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>17/9/2025</u>

<u>ईडी ने तीन व्यक्तियों, अर्थात् कुलदीप राय शर्मा, पूर्व सांसद और अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबीएल) के पूर्व अध्यक्ष; के. मुरुगन, प्रबंध निदेशक (एएनएससीबीएल); और के. कलैवानन, ऋण अधिकारी (एएनएससीबीएल) को गिरफ्तार किया है।</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आंचलिक कार्यालय ने 17.09.2025 को बैंक धोखाधड़ी के मामले में कुलदीप राय शर्मा, पूर्व सांसद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबीएल) के पूर्व अध्यक्ष; के. मुरुगन, प्रबंध निदेशक (एएनएससीबीएल); और के. कलैवानन, ऋण अधिकारी (एएनएससीबीएल) को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय ने (पीएमएलए) के तहत कुलदीप राय शर्मा और के कलैवानन को 8 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में ईडी द्वारा की गई ये पहली गिरफ्तारियां हैं।

अंडमान और निकोबार पुलिस के अपराध और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न निजी व्यक्तियों और बैंक के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

यह मामला अंडमान और निकोबार स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें कुलदीप राय शर्मा और बैंक ऋण स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार अन्य लोग शामिल हैं। इन व्यक्तियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई मुखौटा कंपनियां बनाईं और उन्हें तथा उनकी नियमित संस्थाओं को बैंक के नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का घोर उल्लंघन करते हुए बड़े ऋण स्वीकृत किए, जिसका एकमात्र उद्देश्य धन का पुनर्भुगतान न करना था, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और उन्हें अपने लिए लाभ हुआ। अब तक की गई जांच से पता चलता है कि ऋण सुविधाएं विभिन्न फर्मों और मुखौटा कंपनियों के नाम पर 100 से अधिक ऋण खातों के माध्यम से स्वीकृत की गईं, बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए और धोखाधड़ी/एनपीए में शामिल राशि 500 करोड़ रुपये से अधिक है। अब तक एकत्र किए गए सबूतों से यह भी पता चलता है कि कुलदीप राय शर्मा और प्रबंध निदेशक और ऋण अधिकारी सहित उनके सहयोगियों के लाभ के लिए विशेष रूप से 230 करोड़ रुपये)लगभग(की ऋण राशि धोखाधड़ी से ली गई थी।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि के मुरुगन, एमडी और के कलैवानन, लोन ऑफिसर ने भी रिश्तेदारों के नाम पर शामिल कंपनियों के नाम पर बैंक से धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किए। उन्होंने कुलदीप राय शर्मा के निर्देश पर अपने सहयोगियों को 5% कमीशन के बदले में कई ऋण प्राप्त करने में मदद की। कमीशन की राशि या तो नकद के रूप में या सहयोगियों के माध्यम से शेल कंपनियों के खातों का उपयोग करके ली गई थी।

इसके अलावा, बैंक के धन के डायवर्जन के संबंध में पहले की तलाशी के आगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीन परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इस मामले में, कुलदीप राय शर्मा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत से बनाई गई शेल कंपनियों सहित 31.07.2025 और 01.08.2025 को 21 परिसरों में पहले तलाशी ली गई थी।जांच में पता चला है कि ऋण राशि को कई मुखौटा संस्थाओं के माध्यम से निकाला गया और निकाल लिया गया और इन ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद में निकाला गया और कुलदीप राय शर्मा सहित वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को शेयर के रूप में भुगतान किया गया।

आगे की जांच चल रही है।